न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/8093/2006/गंगानगर

1. बलदेवसिंह पुत्र औतारसिंह
2. हरजिन्द्रसिंह पुत्र औतारसिंह
3. करतारकौर बेवा औतारसिंह

–समस्त जाति जटसिख निवासीगण धुदूवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

.....अपीलांट्स/वादीगण

बनाम

1. गमदूरसिंह पुत्र शमशेरसिंह
2. भरपूरसिंह पुत्र शमशेरसिंह
3. डिप्टीसिंह पुत्र शमशेरसिंह

–समस्त जाति जटसिख निवासीगण धुदूवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

4. गुरमीमकौर पत्नि लाभसिंह जाति जटसिख निवासी 36, आरबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
5. संतोषपाल कौर पत्नि कोरसिंह जाति जटसिख निवासी श्रीनगर तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर
6. परमजीतकौर पत्नि दरबारासिंह जाति जटसिख निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
7. बलतेजसिंह पुत्र जसवंतसिंह
8. जगजीतसिंह पुत्र जसवंतसिंह
9. दिलबागसिंह पुत्र जसवंतसिंह
10. सतपालसिंह पुत्र जसवंतसिंह
11. मनजीतकौर पुत्री जसवंतसिंह
12. श्यामकौर बेवा जसवंतसिंह

–समस्त जाति जटसिख निवासीगण कालाटिबा तहसील अबहोर जिला फिरोजपुर, पंजाब

13. करूडी पुत्री मलसिंह जाति जटसिख
14. जीतो पुत्री मलसिंह जाति जटसिख

–समस्त निवासीगण बहादरखेडा, पंजाब

15. राजस्थान सरकार

.....रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता, अपीलांट्स।
श्री जे0पी0माथुर, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय **दिनांकः– 01–02–2019**

द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (जिसे आगे 'अधिनियम 1955' से सम्बोधित किया जाएगा) की धारा 225 के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रथम अपील सं. 200/2001 में दिनांक 17–11–2006 को पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा उपजिला कलक्टर श्रीकरनपुर के न्यायालय में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध अधिनियम की धारा 88 व 53 के तहत वाद पत्र पेश किया गया था, जिसमें वादीगण/अपीलान्ट्स ने मुख्य रूप से यह अनुतोष चाहा था कि चक 37 जीजी तहसील पदमपुर के खाता संख्या 6 सम्वत 2049 में दर्ज मलकियतसिंह पुत्र देवासिंह का 160 हिस्सा का वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए तथा उपरोक्त खतौनी के विभाजन की डिक्री प्रदान की जाकर मुरब्बा नम्बर 20 प्रतिवादी संख्या 9 से 12 और मुरब्बा नम्बर 21 के 24 बीघा 10 बिस्वा की वादीगण के नाम करने की डिक्री पारित की जावे। प्रतिवादीगण संख्या 8, 9, 11 व 12 बावजूद सम्मन तामिल अनुपस्थित रहे, इसलिए विचारण न्यायालय ने उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया था। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 13 व 14 ने जवाबदावा पेश कर वाद पत्र के अभिवचनों से इंकारी की थी एवं मलकियतसिंह के 160 हिस्से पर वादीगण का कब्जा होना भी स्वीकार नहीं किया गया था। इस प्रकार वाद खारिज करने का निवेदन किया था।

प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 एवं मृतका श्रीमती गुरदयालकौर ने पृथक से जवाबदावा पेश कर वादपत्र के कथनों से इन्कारी की थी एवं काउन्टर क्लेम पेश कर इस आशय की घोषणात्मक डिक्री चाही कि खाते में 660 हिस्सा उत्तरदाता प्रतिवादीगण के नाम अंकित किया जाए एवं मुरब्बा नम्बर 21 चक 37 जीजी में 160 हिस्सा का व मुरब्बा नम्बर 20 के 500 हिस्सा का विभाजन किया जाकर कब्जा उन्हें दिलवाया जावे। विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम करने के बाद पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध की एवं दिनांक 24-8-2001 को पारित निर्णय के द्वारा वादीगण का वाद डिक्री किया एवं प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 एवं मृतका गुरदयालकौर की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को खारिज कर दिया। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष मृतका गुरदयालकौर, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 एवं प्रतिवादीगण गुरमीतकौर, संतोषपाल कौर स्व. परमजीत कौर ने एक साथ अपील प्रस्तुत की, जिसे निर्णय दिनांक 17-11-2006 के द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय निर्णय व डिक्री को निरस्त किया एवं पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। इस रिमाण्ड आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील वादीगण ने पेश की है।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की अपील के संबंध में बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स/वादीगण की दलील है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 24-08-2001 को पारित निर्णय के द्वारा न केवल वादीगण का वाद डिक्री किया बल्कि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 एवं उनकी माता मृतका गुरदयालकौर द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम भी खारिज कर दिया था। रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त निर्णय के विरूद्ध केवल एक अपील प्रस्तुत की थी, जबकि उन्हें दो अपीलें प्रस्तुत करनी चाहिए थी। यह बिन्दु राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष भी उठाया गया था, किन्तु इस पर उन्होंने कोई निर्णय पारित नहीं किया था। राजस्व अपील प्राधिकारी ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को मात्र इस आधार पर पलट दिया है कि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने दिनांक 15-4-1953

की लिखावट को फर्जी व झूंठा होना बताया था। यह लिखावट किस प्रकार फर्जी व झुंठी थी, इसका कोई कारण आक्षेपित निर्णय में नहीं किया है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड को बिना देखे व बिना समझे अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने प्रदर्श–5 ए को भलीभांति साबित किया था, जिसके अनुसार मलसिंह व वरयामसिंह ने अपनी कृषि भूमि का घरू बंटवारा किया था। उस बंटवारे के अनुसार मलसिंह ने चक रूडियावाली में स्थित अपने हिस्से की भूमि वादीगण के दादा वरयामसिंह को दे दी थी एवं मलसिंह ने ग्राम कालाटिब्बा में स्थित वरयामसिंह के हिस्से की भूमि तबादला में प्राप्त की थी। चूँकि कालाटिब्बा की भूमि ग्राम रूढियावाला से अधिक थी, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए मलसिंह ने चक 37 जीजी में मुरब्बा संख्या 21 में से अपना 160 हिस्सा तबादले में अपीलार्थीगण के दादा वरयामसिंह को दे दिया था। यह तथ्य वादीगण ने साक्ष्य से भलीभांति साबित किया था। इसलिए प्रकरण को रिमाण्ड करने का कोई आधार नहीं था। स्वीकृत रूप से प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 6 ने परीक्षण न्यायालय में कोई साक्ष्य पेश नहीं की थी एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 से 12 ने भी प्रदर्श–5 ए के खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की थी। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण/अपीलार्थीगण 30–35 वर्षो से कब्जा होना भी स्वीकार किया था। इसलिए भी प्रकरण को रिमाण्ड करने का कोई आधार नहीं था। अतः निवेदन किया गया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय दिनांक 17–11–2006 अपास्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण ने उक्त दलीलों का विरोध किया है। उनका कहना है कि वादीगण ने दिनांक 15–4–1953 को कथित रूप से लिखी गई लिखावट मूल रूप से पेश नहीं की थी बल्कि उसके अनुवाद को प्रस्तुत किया था, जिस पर विचारण न्यायालय ने प्रदर्श–5 अंकित किया था। इस दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करते समय प्रतिवादीगण ने आपत्ति उठाई थी जिस पर विचारण न्यायालय ने आदेश

दिया कि इस आपत्ति का निराकरण निर्णय करते समय किया जाएगा तथा निर्णय के समय भी विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स की आपत्ति को ध्यान में रखे बगैर दिनांक 15–04–1953 को कथित रूप से निष्पादित दस्तावेज के अनुवाद के आधार पर निर्णय पारित कर दिया था। इसके आलवा विचारण न्यायालय ने ऐसी भी कोई फाईडिंग नहीं दी है कि क्या ऐसे दस्तावेज के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार या हक प्राप्त हो सकते है या नहीं। इसलिए विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण विचारण न्यायालय को दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया था। उनकी यह भी दलील है कि मूल दस्तावेज की फोटो प्रतिलिपि पर प्रदर्श अंकित करने से पूर्व वादीगण ने धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं ली। दिनांक 15–04–1953 का कथित दस्तावेज अनरजिस्टर्ड व अमुद्रांकित दस्तावेज है, जिस पर सभी भाईयों के हस्ताक्षर नहीं है। दस्तावेज पर केवल प्रदर्श अंकित कर देने मात्र से साक्ष्य में ग्राहय नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा वादीगण/अपीलार्थीगण ने विवादग्रस्त भूमि पर 30–35 वर्षो से कब्जा होना बताया है किन्तु प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में डिक्री पारित नहीं हो सकती है। अतः निवेदन किया गया कि अपील खारिज की जाए। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्तों को प्रस्तुत किया हैः–

1– 2006 आरआरडी 495 शंकरलाल बनाम सिविल जज। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि द्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 65 साक्ष्य अधिनियम में वर्णित तत्वों को साबित करना आवश्यक होता है।

2– 2017 (1) आरआरटी 403 तारसिंह वगैरहा बनाम वीरसिंह वगैरहा। इस मामले में राजस्व मण्डल का यह अभिमत रहा है कि अनरजिस्टर्ड व अमुद्रांकित दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नहीं होता है।

3– 2017 (1) डीएनजे राज. 438 बालीदेवी वगैरहा बनाम छगनलाल। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि अनरजिस्टर्ड व अमुद्रांकित विक्रय पत्र साक्ष्य में ग्राहय नहीं किया जा सकता।

4– 2017 (2) आरआरटी 1277 प्रेमचंद बनाम ओम प्रकाश। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया

गया है कि यदि दस्तावेज उचित रूप से मुद्रांक शुल्क पर निष्पादित नहीं किया गया है तो उसे साक्ष्य में पेश नहीं किया जा सकता है।

5– 2010 (17) आरबीजे 370 एलआईसी बनाम रामपालसिंह। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है किसी दस्तावेज पर प्रदर्श अंकत किए जाने मात्र से उसे साबित करने के भार से छूट नहीं मिलती है।

6– 2012 (2) आरआरटी 1286 रविशंकर बनाम प्रभूसिंह। इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि किसी दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत कर देने मात्र से उसे साक्ष्य में साबित किया हुआ नहीं माना जा सकता है।

7– 2016 (3) डीएनजे राज. 12711 पवन कुमार वगैरहा बनाम ओम प्रकाश वगैरहा। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि किसी दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित कर देने मात्र से वह साक्ष्य में ग्राहय नहीं हो जाता है।

8– 2014 (1) आरआरटी 224 ओमप्रकाश बनाम लक्ष्मीनारायण वगैरहा। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया कि दस्तावेज को प्रदर्श करने के लिए दस्तावेज में वर्णन तात्विक होता है।

9– 2016 (1) आरआरटी 304 जैद वगैरहा बनाम हनीफ वगैरहा। इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि अनरजिस्टर्ड एवं अमुद्रांकित विक्रय पत्र के आधार पर अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।

10– 2017 (2) आरआरटी 1100 भाकरराम बनाम सूजाराम वगैरहा। इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

11– 2012 (1) आरआरटी पेज 868 तारा वगैरहा बनाम सरकार। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

12– 2018 आरबीजे 595 सरजूराम बनाम अमृतलाल। इस मामले में राजस्व मण्डल ने यह मत प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते।

6. उक्त तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. यह सही है कि विचारण न्यायालय ने वादीगण/अपीलार्थीगण के वाद को डिक्री किया था एवं प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के

काउन्टर क्लेम को खारिज किया था। इसलिए प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष दो अपीलें प्रस्तुत करनी चाहिए थी किन्तु मात्र इस आधार पर अपीलार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत वह अपील अपोषणीय नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि उनके साथ अन्य ऐसे रेस्पोडेन्ट्स ने भी अपील पेश की थी, जिन्होंने कोई काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया था।

8. वादीगण के वाद का मुख्य आधार दिनांक 15-04-1953 को निष्पादित किया गया बंटवारानामा है, किन्तु वादीगण ने उक्त मूल बंटवारानामा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 09-06-2000 को बलदेवसिंह पीडब्ल्यू-1 का बयान लेखबद्ध किया था, उस दिन वादी ने बंटवारेनामे की फोटो प्रतिलिपि पर प्रदर्श अंकित करवाना चाहा था, जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से यह आपत्ति उठाई गई थी कि मूल लिखावट के अभाव में फोटो प्रति पर प्रदर्श अंकित नहीं हो सकता है। इस पर विचारण न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि इस बिन्दु का निर्णय न्यायालय द्वारा अन्तिम बहस के समय किया जायेगा। उस दिन इस साक्षी का बयान अधूरा रहा था। उसका बयान दिनांक 23-12-2000 को पुनः आरम्भ किया गया था, उस दिन साक्षी ने अपने कथन में बताया था कि बरयामसिंह, हरभजनसिंह व मलसिंह की भूमि का बंटावारानामा उनके वकील के ऑफिस से गूम हो गया था, इसलिए उसकी फोटो प्रति पर प्रदर्श-5 व हिन्दी अनुवाद पर प्रदर्श-5 अंकित किया गया था। इस प्रकार तथ्यों से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय ने सुसंगत समय पर प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति का निराकरण नहीं किया, बल्कि उसे बहस अन्तिम के स्तर तक डेफर कर दिया था। विचारण न्यायालय द्वारा अपनाई गई यह प्रक्रिया विधि सम्मत नहीं कहीं जा सकती है। जब किसी दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करते समय कोई आपत्ति उठाई जाती है तो उसी समय विचारण न्यायालय को उसका समाधान कर देना चाहिए, अन्यथा पक्षकारान में अनिश्चितता (uncertainty) बनी रहती है। इसके अलावा यदि उसी समय उस आपत्ति का निराकरण कर दिया जाता है तो व्यथित पक्षकार उस आदेश के विरूद्ध अपील/निगरानी या अन्य विधिक कार्यवाही भी कर सकता है। मौजूदा मामले में यदि वादीगण को उस

समय इस दस्तावेज की फोटो प्रति पर प्रदर्श अंकित करने से रोक दिया जाता तो वह धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के तहत आवेदन पत्र पेश कर द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कार्यवाही कर सकते थे, किन्तु उस समय प्रतिवादीगण की आपत्ति को सुरक्षित रख दिया गया जिस कारण यह अनिश्चितता बनी रही। इन परिस्थितियों में हमारी विनम्र राय में विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की है, बल्कि पक्षकारान में सारभूत न्याय हो सके, इस तरह अग्रसर होकर विधिसम्मत रूप से रिमाण्ड आदेश पारित किया गया है। इसलिए वादीगण को चाहिए था कि यह अपील प्रस्तुत करने के बजाए प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश के अनुसरण में विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की नियमानुसार अनुमति प्राप्त करते।

9. लिहाजा अपील खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय को निर्देश दिए जाते है कि इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त होने के एक वर्ष की अवधि में मूल वाद का विधिनुसार निर्णय करें। पक्षकारान एवं पत्रावली दिनांक 28–02–2019 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य